

कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल।

प्रेषक ,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमंडल।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,  
औरंगा निर्माण प्रमंडल, पांकी।

मेदिनीनगर, दिनांक 06/01/17

विषय:-

अमानत बराज के दाहिने ओर नहर निर्माण के क्रम में अपयोजित होने वाली वनभूमि 127.85 हे० के बदले अपयोजित होने वाली वनभूमि के बदले में उपलब्ध कराई जा रही गैर वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर DGPS-Survey कराकर पीलरिंग का कार्य कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

भारत सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय रांची का पत्रांक FP/JH/IRRIG/15780/2015/935 दिनांक 14.12.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि अमानत बराज निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा Stage I clearance की प्रक्रिया शीघ्र पूरा होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। Stage I clearance की प्रक्रिया पूरा होते ही अपयोजित होने वाले वनभूमि 127.85 हे० वनभूमि के बदले में उपलब्ध कराई जा रही गैर-वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त कर DGPS-Survey एवं पीलरिंग कराने की जिम्मेवारी प्रयोक्ता अभिकरण को है। वनभूमि का NPV तथा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु निम्नवत् राशि अपेक्षित होगी :-

1- NPV की राशि :- 127.85 हे० वनभूमि :-	रु०	80034100.00
(127.85 हे० दर @ प्रति हे० 6,26,000.00/-)		
2- क्षतिपूरक वनरोपण हेतु राशि कुल 123.20 हे०	रु०	27167967.00
3- क्षतिपूरक वनरोपण हेतु कुल 2500 लोहे के गैबियन से वृक्षारोपण:-	रु०	10985712.00
(2 एवं 3) योग:-	रु०	38153679.00
सकल योग :-	रु०	118187779.00

अनुरोध है कि NPV तथा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु रु० 118187779.00 (ग्यारह करोड़ एकासी लाख सतासी हजार सात सौ उनासी) RTGS Mode से CAF Jharkhand के नाम से Corporation Bank, New-Delhi- 110003 के A/c No. 037100101025212 में जमा कर निर्गत चेक की छाया प्रति तथा RTGS Transfer की रसीद इस कार्यालय में समर्पित करने की कृपा की जाय

account/446

विश्वासभाजन,


वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमंडल।